



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-ग्वालियर

क्रमांक - 7025-182-16

नवीन शिवहरे पुत्र श्री चिरोंजीलाल
शिवहरे निवासी - एम-40 गांधी नगर
ग्वालियर (म.प्र.)

..... आवेदक

बनाम

- (1) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला ग्वालियर
(म.प्र.)
- (2) श्रीमती बेटी बाई पत्नी स्व. लाखाराम
निवासी-केदारपुर परगना व जिला
ग्वालियर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

**न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण
क्रमांक 214/बी-103/2012-13/33 में पारित आदेश दिनांक 14.03.
2014 के विरुद्ध मध्यप्रदेश स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के
अधीन पुनरीक्षण।**

क्र. 24-2116 को कीर्ति-रूपेण
DINNY
24-2-16

Wharid

R-7025-PBR-116 (मकालियर)

13/8/18

अभियंता द्वारा श्री के.के. द्विवेदी एवं
अभियंता द्वारा श्री. अजय ~~श्री. अजय~~ चव्हेरी द्वारा
अभियंता उपस्थित। अभियंता अभियंता द्वारा
निवेदन किया कि प्रकृत नहीं चलाना चाहते
हैं। अभियंता अभियंता के निवेदन पर प्रकृत
नहीं चलाने के कारण प्रकृत समाप्त किया
जाता है।


अभियंता


अभियंता



